


दिनांक

आज्ञा पत्र

20/11/24
वाक्य 21/11
कोई कार्यवाही
नहीं - पाए।


(कुशी) सुभाष (S)

पतावली प्रेषण हुई। वकील कर्म
पक्ष 300) पुनर्वाही के दौरान एडवोकेट के
मिनेट्स कि वास में आगे कोई कार्यवाही
नहीं पाए। वकील वादीगण के कार्ड जारी
पर एकांक मिले। कतः वकील वादीगण
के कन्सुलेशन पर वास वादीगण को एडवोकेट में
लाभित किया जाता है। पतावली के मूल
सुधार होकर वास कार्यवाही शीघ्र चल रहा
है। निर्दिष्ट कतः दिनांक 20/11/24 को कुल
आवाज में पुनर्वाही (

सहायक कलेक्टर (मु.) सीकर